जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- F(200)(Pt. IV)JDA/OSD(RM)2017-18/D-856 दिनांक :-04-10-17

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक F(200)(Pt.IV)JDA/OSD(RM)2017-18/D-799 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/कॉलोनी एवं क्षेत्रों की आवासीय, संस्थानिक व वाणिज्यिक आरक्षित दरें पुर्ननिर्धारित की गई है।

इन आरक्षित दरों के जारी होने की दिनांक 14.09.2017 से पूर्व जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये जा चुके है, उन प्रकरणों में पूर्व आरक्षित दर ही लागू होगी। दिनांक 14.09.17 एवं इसके बाद के प्रकरणों में नई आरक्षित दर लागू होगी।

अतः दिनांक 14.09.2017 से एवं इसके उपरान्त जविप्रा द्वारा आरक्षित दरों के आधार पर भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत लेय समस्त तरह की राशियां नजराना, शहरी जमाबन्दी, पुर्नग्रहण शुल्क इत्यादि की गणना उक्त आदेशों में अंकित आरक्षित दरों के अनुसार सुनिश्चित की जावें। नीलामी प्रकरणों में शहरी जमाबन्दी की गणना नीलामी दिनांक को प्रभावी आरक्षित दर के अनुसार होगी।

उक्त आदेश आयुक्त, जविप्रा से अनुमोदित है।

sd/-
(एच. गुईटे)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना/परियोजना, जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त(सिस्टम मैनेजमेन्ट/संसाधन एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी(संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त जोन उपायुक्तगण ...., जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जविप्रा वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
12. उप रजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
13. सलाहकार(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (वित्त)